



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239579
CG-DL-E-12102022-239579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2022

सं. 29/2015—2022

विषय: दिनांक 30.09.2022 से 31.12.2022 तक राजकोषीय वर्ष 2022 हेतु प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत यूएसए को खांड के निर्यात से संबंधित वैधता को बढ़ाने के संबंध में।

फा.सं. 01/91/180/879/एम 08/ईसी/खंड VIII—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 30.09.2022 से 31.12.2022 तक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत यूएसए को खांड के निर्यात हेतु वैधता को बढ़ाते हुए दिनांक 06.05.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 07/2015–20 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 28/2015–20 दिनांक 14.10.2021 को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

2. दिनांक 06.05.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 07/2015–20 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 28/2015–20 दिनांक 14.10.2021 की अन्य नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत यूएसए को खांड के निर्यात हेतु वैधता को दिनांक 30.09.2022 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2022 किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th October, 2022

No. 29/2015—2022

Subject: Extension of Validity regarding Export of Raw Sugar to USA under Tariff Rate Quota (TRQ) for the Fiscal Year 2022 from 30.09.2022 to 31.12.2022.

F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. VIII.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Public Notice No. 28/2015-20 dated 14.10.2021 read with Public Notice No. 07/2015-20 dated 06.05.2022 by extending the validity for Export of Raw Sugar to USA under Tariff Rate Quota (TRQ) from 30.09.2022 to 31.12.2022.

2. There will be no change in other terms and conditions of Public Notice No. 28/2015-20 dated 14.10.2021 read with Public Notice No. 07/2015-20 dated 06.05.2022.

3. Effect of this Public Notice:

The validity for Export of Raw Sugar to USA under Tariff Rate Quota (TRQ) has been extended from 30.09.2022 to 31.12.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Dir.Gen. of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy.